संख्या 31011/4/2007-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना (ए- IV)) डेस्क
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 18 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - गृह नगर रियायत की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण -अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग को गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु सरकारी कर्मचारियों/विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कई पत्र प्राप्त होते हैं। बिंदुवार रूप से उठाई गई शंकाएं और उनके स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय/तैनाती का स्थान और गृह नगर एक ही है; एलटीसी के लिए पात्र हैं ?	नहीं। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय/तैनाती का स्थान और गृह नगर एक ही हैं; गृह नगर एलटीसी के लिए पात्र नहीं हैं।
2	क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो गृह नगर एलटीसी के लिए पात्र नहीं हैं, वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.09.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/03/2014-स्था.क.IV द्वारा यथा अनुमेय पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार की यात्रा के लिए गृह नगर एलटीसी को परिवर्तित करने की विशेष रियायत स्कीम का लाभ उठा सकते हैं ?	नहीं। ऐसे कर्मचारी जिनका गृह नगर और मुख्यालय एक ही है, वे गृह नगर एलटीसी के लिए पात्र नहीं होते हैं, अत: इन विशेष रियायत स्कीमों के अंतर्गत इन स्थानों की यात्रा के लिए गृह नगर एलटीसी के परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता है।
3	क्या दिल्ली के बाहर के ऐसे शहर/कस्बे, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य राज्यों के अंतर्गत आते हैं, में रहने वाले सरकारी कर्मचारी गृह नगर रियायत के लिए पात्र हैं ?	हां। ऐसे शहर/कस्बे जो दिल्ली के बाहर हैं तथा एनसीआर के अन्य राज्यों में आते हैं, उन्हें दिल्ली मुख्यालय के रूप में नहीं माना जाता है। अत: ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय दिल्ली है तथा जो एनसीआर के अन्य राज्यों में आने वाले दिल्ली के बाहर के शहरों/कस्बों में रहते हैं, गृह नगर रियायत के लिए पात्र होते हैं।

सूर्य नारायण झा
18.5.2015
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

जारी..........

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्ताकालय, नई दिल्ली।
6. सभी प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
(का.ज्ञा./आदेश स्थापना एलटीसी नियमावली)